GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 259
TO BE ANSWERED ON 19/3/2021

CONSTRAINTS ON ADOPTING ORGANIC FARMING

*259. SHRI V. VIJAYASAI REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that to convert from conventional farming to organic farming, a farmer has to give a gap of three years of farming, apart from other guidelines laid down by international and Indian bodies;

(b) if so, whether the Ministry would consider giving some compensation to farmers for three years as they cannot grow anything; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(SHRI PARSHOTTAM RUPALA)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT IN RESPECT OF PARTS (a) TO (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 259 FOR 19.3.2021 REGARDING CONSTRAINTS ON ADOPTING ORGANIC FARMING.

(a) to (c): The conversion period from conventional to organic farming is three year for perennial crops and two year for annual crops as per "National Standard for Organic Production (NSOP)" which is at par with international standards. NSOP is applicable for both National Programme of Organic Production (NPOP) and Participatory Guarantee System (PGS) organic certification followed in the country. During conversion period, farmers do not keep their land vacant but must continue to grow crops as per NSOP. The crop grown during conversion period is sold as "in-conversion to organic" / "PGS-green".

Government of India has been promoting Organic farming in the country through dedicated schemes namely Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) and Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) since 2015-16. Both the schemes stress on end to end support to organic farmers i.e from production to certification and marketing. Post harvest management support including processing, packing, marketing is made integral part of these schemes to encourage organic farmers.

Under PKVY, farmers are provided financial assistance of Rs. 31,000 directly through DBT for inputs (bio fertilisers, bio-pesticides, organic manure, compost, vermi-compost, botanical extracts etc). Similarly under MOVCDNER, assistance of Rs 32,000/ha/3 years is provided to farmers towards purchase/production of organic inputs like seeds, bio/organic fertilizers, bio-pesticides etc. In addition to above, farmers are also supported for certification, value addition and marketing of their organic produce right from first year.

*****

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 259*

19 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती अपनाने से संबंधित बाधाएं

***259. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पारंपरिक खेती को छोड़कर जैविक खेती अपनाने के लिए किसान को अन्तरराष्ट्रीय और भारतीय निकायों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ खेती में तीन वर्षों का अन्तराल देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों द्वारा तीन वर्षों तक कोई खेती न कर पाने की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय किसानों को कुछेक मुआवजा देने पर विचार करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उ त्त र

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री परशोत्तम रुपाला)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जैविक खेती अपनाने से संबंधित बाधाओं के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 259 के भाग (क) से (ग) के संदर्भ में कथन

(क) से (ग): "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (एनएसओपी)" के अनुसार, पारंपरिक खेती से जैविक खेती में रूपांतरण की अवधि बारहमासी फसलों के लिए तीन वर्ष और वार्षिक फसलों के लिए दो वर्ष है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। एनएसओपी देश में अपनाए जाने वाले राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) जैविक प्रमाणीकरण, दोनों के लिए लागू होता है। रूपांतरण की अवधि के दौरान, किसान अपने खेत खाली नहीं रखते हैं बल्कि एनएसओपी के अनुसार फसलें उगाना जारी रखते हैं। रूपान्तरण की अवधि में उगाई गई फसलें "इन-कन्वर्जन टु ऑर्गनिक"/"पीजीएस-ग्रीन" के रूप में बेची जाती हैं।

भारत सरकार 2015-16 से, दो समर्पित स्कीमों नामतः परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देती रही है। ये दोनों स्कीमें जैविक किसानों को आरंभ से अंत तक यानि उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण और विपणन तक सहायता दिए जाने पर बल देती हैं। फसल कटाई के बाद प्रबंधन सहायता जिसमें प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन भी शामिल है, को जैविक किसानों को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से इन स्कीमों का अभिन्न अंग बनाया गया है।

पीकेवीवाई के अंतर्गत, किसानों को आदानों (जैव-उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों, जैविक खाद, कम्पोस्ट, वर्मी-कम्पोस्ट, वनस्पति अर्क, आदि) के लिए 31,000 रुपए की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रदान की जाती है। इसी तरह एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत, किसानों को बीजों, जैव/जैविक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों, आदि जैसे जैविक आदनों की खरीद/उत्पादन के लिए 32,000 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष की सहायता प्रदान की जाती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, किसानों को पहले वर्ष से ही अपनी जैविक उपज के प्रमाणीकरण, मूल्य-वर्धन और विपणन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

*****

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I thank you for giving me this opportunity. I have seen the reply of the hon. Minister. In his reply, he has said that farmers who are converting from conventional to organic farming are supported by certification of their organic produce right from the first year. I would like to know whether the Government is aware that very few States have State Organic Certification Agencies, accredited by the Agricultural & Processed Food Products Exports Development Authority. If so, when are you going to take steps whereby all these States have these agencies in their States?

श्री परशोत्तम रुपाला : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि हम नियमित रूप से राज्य सरकार के कृषि मंत्रियों के साथ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु चर्चा कर रहे हैं एवं वीडियो कॉफ्रेंसिंग करके उनके सामने आ रही समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, राज्य स्तर की एजेंसी नहीं होने की वजह से वहाँ के किसानों को सर्टिफिकेशन मिलने में थोड़ी दुविधा रहती है। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर जल्द ही इसका सॉल्युशन ढूँढ़ने की कोशिश में लगे हैं।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : माननीय उपसभापति महोदय, जैविक खेती में गाय के गोबर तथा गोमूत्र का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि गौ-संवर्द्धन के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं?

श्री परशोत्तम रुपाला : माननीय उपसभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य दिनेश भाई ने नए सदस्य होने के नाते स्वाभाविक जिज्ञासा से गाय के उपयोग के संबंध में सवाल किया है। गाय के संवर्धन का इश्यू हमारे गिरिराज सिंह जी आपको बहुत अच्छी तरह से बता पाएँगे, आप जरूर उनसे मिलिए। गाय के गोबर एवं गाय के मूत्र में से बैक्टीरिया पैदा कर, उसका प्राकृतिक खेती में खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए हम बहुत अधिक कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए किसानों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। माननीय चौधरी सुखराम सिंह यादव जी।

चौधरी सुखराम सिंह यादव : माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी बताया और अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जैविक खेती का उपयोग करने वाले लोगों को क्या सरकार कोई अनुदान देने की व्यवस्था भी करेगी?

श्री परशोत्तम रुपाला : माननीय उपसभापति महोदय, वास्तव में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग कम हो, इसी आशय के साथ हम किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ने के लिए

प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की ओर से उसमें दो प्रकार की सहायता दी जाती है। यदि किसान दो हेक्टेयर तक की अपनी खेती को ऑर्गेनिक में कन्वर्ज़न करवाना चाहता है, तो उसको तीन साल में 31,000 रुपये का अनुदान भारत सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। हमारी नॉर्थ -ईस्ट की जो बेल्ट है, उस एरिया के लिए 'PKVY' के अलावा 'MOVCD-NER' नामक एक नई योजना भी है और भारत सरकार की इस योजना में हर किसान को प्रति दो हेक्टेयर के लिए 32,000 रुपये देने का प्रावधान है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, मंत्री जी। प्रश्न संख्या 260 एंव 268.